(42)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3241–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–7–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 101/अपील/2015–16.

.....

विजिया राजे शासकीय कन्या स्नाकोत्तर
महाविद्यालय मुरार द्वारा प्राचार्य श्रीमती सुशीला माहौर,
पत्नी श्री ए0के0माहौर
निवासी गरम सड़क मुरार ग्वालियर म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–मानिक राव भोंसले दत्तक पुत्र स्व0श्री रामचन्द्र राव भोंसले
निवासी नम्बर 30–ए ब्लाक सारस्वत रूकमणी पैलेस,
सीएचसी कर्वेनगर पुणे महाराष्ट्रा
2–कर्नल विजय सिंह जाधव पुत्र स्व0श्री जयसिंह जाधव
निवासी सी–5/6, सालून कोबिहार बानवाडी पुणे महाराष्ट्रा
3–विकम जाधव पुत्र स्व0श्री जयसिंह जाधव
निवासी सिनफोनीटा भवन 485 वी, लकाडी रोड,
मोडल कालोनी शिवजी नगर पुणे 411005
4–श्रीमती नीलम पत्नी श्री टिम मेकडोनल्ड
निवासी हिमालय होटल केलिमपोंग
जिला दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल

.....अनावेदकगण

श्री मनीष शर्मा एवं श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषकगण– आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/8/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–7–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12–5–2015 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 101/2015–16/अपील दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक की ओर से अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत, व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत एवं स्थगन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 5–7–16 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर विलम्ब क्षमा किया गया तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई एवं व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन संपत्ति आवेदक संस्था को अंतरित होने के पूर्व लोक निर्माण विभाग की थी इसलिये प्रकरण के निराकरण के लिये मध्यप्रदेश शासन व लोक निर्माण विभाग आवश्यक पक्षकार है जिन्हें पक्षकार नहीं बनाने में अपर आयुक्त द्वारा विधि एवं न्याय की भूल की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कि जिस भवन में महाविद्यालय संचालित है उसका निर्माण आजादी के पूर्व हुआ है तथा वर्ष 1963 में महाविद्यालय को लोक निर्माण विभाग द्वारा हस्तान्तरित किया गया है तथा उसी समय भवन के साथ अन्य शासकीय भूमि भी महाविद्यालय को प्रदान की गई थी जिसके स्वत्व व स्वामित्व के संबंध में स्पष्ट जानकारी मध्यप्रदेश शासन व लोक निर्माण विभाग के द्वारा ही दी जा सकती है इसलिये वे प्रकरण के निराकरण के लिये अति आवश्यक पक्षकार है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर अपर आयुक्त को मध्यप्रदेश शासन व लोक निर्माण विभाग को पक्षकार बनाये जाने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया ।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि राज्य शासन द्वारा वर्ष 1963 में स्कूल शिक्षा विभाग से हस्तान्तरित की गई है जिस पर गर्ल्स डिग्री

कॉलेज वर्ष 1963 से स्थापित है अतः स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि/भवन शासकीय है और शासकीय भवन/भूमि का लोक निर्माण विभाग एवं कलेक्टर संरक्षक होता है, ऐसी स्थिति में उन्हें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था परन्तु अपर आयुक्त द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है इसलिये उनका आदेश निरस्त किया जाकर मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग एवं कलेक्टर को अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित अपील में पक्षकार बनाया जाता है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस प्रकरण में महत्वपूर्ण शासकीय भूमि विवादित है, अतः आयुक्त को निर्देश दिये जाते हैं कि अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित अपील का निराकरण आयुक्त स्वयं उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर